आवश्यक/तत्काल

संख्या: 28/2020/1723/12-2-2020

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 2020

विषय: यूरिया उर्वरक का कृत्रिम अभाव पैदा करके अवांछनीय तत्वों/व्यवसाईयों द्वारा जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने तथा यूरिया के साथ अन्य उत्पादों को टैग करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 15/2020/1072/12-2-2020-एफ.42/2001 शासनादेश दिनांक 22 जून, 2020 एवं शासनादेश संख्या: 20/2020/1371/12-2-2020-एफ.42/2001 दिनांक 28 जुलाई, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेशों द्वारा कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की व्यवस्था, उर्वरकों का वितरण शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 के माध्यम से करने तथा यूरिया उर्वरक का कृत्रिम अभाव पैदा करके अवांछनीय तत्वों/व्यवसाईयों द्वारा जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने तथा यूरिया के साथ अन्य उत्पादों को टैग करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान समय में अच्छी वर्षा होने के कारण कृषकों के द्वारा खरीफ फसलों में यूरिया उर्वरक की टॉप ड्रेसिंग का कार्य तेजी से प्रारम्भ हो गया है जिसके कारण कृषकों के मध्य यूरिया उर्वरक की मांग एक साथ बढ गयी है। वर्तमान में प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उर्वरक की उपलब्धता है। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यूरिया उर्वरक का कृत्रिम अभाव पैदा करके निजी उर्वरक विक्रेताओं/व्यवसाईयों द्वारा जमाखोरी करने एवं कालाबाजारी/अधिक मूल्य पर किसानों को बेचने के साथ-साथ कम प्रचलित अन्य उत्पादों को टैग कर कृषकों को बाध्य किए जाने की सम्भावनाओं है। अत: कृषकों को निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं यूरिया उर्वरक केसाथ अन्य उत्पादों को टैग कर बिक्री न करने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) कृषकों को उर्वरकों की उचित गुणवत्ता का सही दाम पर उपलब्ध करायें जिसके लिए जनपद स्तरीय अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। वह यह सुनिश्चित करायेंगे कि जनपद के अन्तर्गत सहकारिता, अन्य सहकारी एजेन्सी व निजी क्षेत्र के विक्रेता सही दामों व पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित करायेंगे।

(2) यदि किसी उर्वरक विक्रेता द्वारा कृषकों को मुख्य उर्वरक यथा यूरिया, डी0ए0पी0, एन0 पी0के0, मिश्रित उर्वरक, काम्प्लेक्स एवं एम0ओ0पी0 के साथ कम प्रचलित अन्य उत्पाद भी टैग कर खरीदने हेतु बाध्य किया जाता है तो ऐसे उर्वरक विक्रेता पर भी सतर्क दृष्टि रखी जाए।

(3) उर्वरकों के क्रेता कृषकों के पहचान का विवरण कैश रसीद पर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। पहचान विवरण के अन्तर्गत राशन कार्ड, जोत-बही, निर्वाचन पहचान पत्र, बैंक पास-बुक अथवा इसी प्रकार के अन्य अनिवार्य अभिलेख अवश्य रूप से देखे जायें ताकि क्रेता कृषक की पहचान सुनिश्चित हो सके।

(4) उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की समीक्षा कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर सघन रूप से छापे की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए। जहॉ पर कालाबाजारी/जमाखोरी अथवा निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक दरों में बिक्री की शिकायत प्राप्त हो तो वहॉ क्षेत्रीय अधिकारियों की निगरानी में उर्वरकों का वितरण कराया जाए। इसके साथ ही उर्वरक का वितरण शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 मशीन द्वारा सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण/छापे के दौरान स्टाक का मिलान पी0ओ0एस0 मशीन से किया जाए एवं वितरण के उपरान्त क्रेता कृषकों को उर्वरक खरीद की पी0ओ0एस0 मशीन से निकलने वाली पर्ची/कैश मेमों आवश्यक रूप से प्राप्त करायी जाए।

(5) फुटकर के साथ-साथ थोक विक्रेताओं के स्टॉ का भी निरीक्षण किया जाये। यह अवश्य देखा जाय कि कहीं थोक विक्रेता अपने पास उर्वरक का अनावश्यक भण्डारण स्थानीय स्तर पर कर कृत्रिम अभाव की स्थति न उत्पन्न कर रहे हों। अगर ऐसी स्थिति पायी जाती है तो स्टॉक को बाजार में किसानों के लिए अवमुक्त किया जाये एवं संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही भी की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निजी कम्पनी/थोक विक्रेता यूरिया/उर्वरक के साथ जबरन अन्य उत्पादों की टैगिंग न करा रहे हों। ऐसे उत्पादों को कृषकों को खरीदने हेतु बाध्य न किया जाये।

(6) सभी प्रकार की यूरिया में 46 प्रतिशत नत्रजन ही होता है, ऐसे में किसी भी विशेष ब्राण्ड जैसे इफ्को, कृभको की यूरिया के अतिरिक्त अन्य कम्पनियों के यूरिया उर्वरक क्रय करने हेतु कृषकों को जागरूक किया जाए।

(7) ऐसी अवैध गतिविधियों/ किसान विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने वाले असामाजिक तत्वों अथवा विक्रेताओं के विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 के निहित प्राविधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(8) निजी क्षेत्र अथवा सहकारी क्षेत्र के खाद की रेक रेल द्वारा अथवा सडक परिवहन द्वारा उर्वरक आने पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसका वितरण फुटकर विक्रेताओं में पारदर्शी तरीके से हो तथा उन स्थानों को वरीयता दी जाए जहॉ इसकी कमी है या स्टाक कम हो। उचित होगा कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में समीक्षा कराते हुए रणनीति तैयार की जाये और वस्तुनिष्ठ व पारदर्शी प्रक्रिया से आने वाले उर्वरकों का स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वितरण हो और इसकी जानकारी जनमानस में उपलब्ध कराया जाये।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 28/2020/1723(1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0/यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0/गन्ना संघ/औद्यानिक संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थाएं, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

विद्या शंकर सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।